

1704
30/8/18

राजस्थान सरकार

तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

पत्रावली नं. 267/18 वनाम श्री राजेश 51 कल 2 ल गल
Hi. 22/18

किराया मुकदमा - आरसी.ए. 1954 की धारा 22

एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नंबर 4/18 वर्ष 2018 फसल 2018

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की जाली
26/7/18	<p>पटवारी हल्का <u>कुम्हारिया</u></p> <p>की रिपोर्ट पर पत्रावली गुरतीव की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक <u>अ. 27/18</u> के खसरा नं./मुंजम <u>65</u></p> <p>तादादी <u>0.51 हे०</u> बीघा <u>गो. गोर</u></p> <p>राजकीय भूमि पर सम्वत <u>2075</u> में नाजायज कब्जा कर वास्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अगिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>07-8-18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर</p>	<p>ध. राजि. के पैग. 129 के अ. नं. 04 पर प्रांग काम की गयी।</p> <p style="text-align: center;">TRR 45/19</p>
7/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खसरा नं. 65 के अ. नं. 04 पर पत्रावली जारी की गई। रिपोर्ट ली गए। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30/8/18 को पेश हो।</p>	
30/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खसरा नं. 65 के अ. नं. 04 पर पत्रावली जारी की गई। रिपोर्ट ली गए। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30/8/18 को पेश हो।</p>	<p>P.T.O.</p>

30/8/18

at public school of the 13th 2009
year 6 school was held a PPT presentation

न्यायालय तहसीलदार (राजस्थान) लुनाकरणसर

प्रकरण संख्या: 04/2018

दिनांक 30/5/2018

निर्णय

पट्टाधारी मंगू हर्ष। कांश में विद्यमान इन प्रकार है कि पट्टाधारी इल्का सुप्रीम कोर्ट
 रिपोर्ट (पी-34) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्यक 2017 मसल खरीफ में गैर सायल सुप्रीम कोर्ट
 पु सुप्रीम कोर्ट जाति स/र साकिन बरासी
 में ग्राम बरासी के खसत नं 55 खसब 0-51
 डेब्टोर जोहद मजदूर गोरू बरामाह राजकीय मृम में काभर/बाह/काच्य/पकवा
 मजान निर्माण कर राजावत अतिरिक्त किया है।

सम्बंधित गैर सायल का समूह अर्थात् 1958 को धरा 51 के तहत प्रकरण दर्ज कर
 नोटिस जारी किया गया जो बट तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित मैलमजदूर
 अनुसंधान होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतसमा कार्यवाही करते हुए सम्बंधित गैर
 सायल 711-14 पु श्री सुप्रीम कोर्ट जाति स/र
 साकिन बरासी ग्राम बरासी खसत नं 55 खसब 0-51
 डेब्टोर के अतिरिक्त करने पर राज नू-राजस्थान अधिनियम 1958 को धरा 51 के प्रावधान के
 तहत अतिरिक्त घोषित किया जाता है तथा मीक से कायल मसल को नद करने व
 अतिरिक्त मृम से डेब्टोर करने के आदेश दिए जाते हैं। बंदगली व कायल मसल को नद
 करने तथा मुताबक का 50 गुण 26/- रुपये हासिल से दंडित किया जाता है। इन
 बाबत संबंधित मिस्टावर इल्का को लिख जाते तथा तलवान वगुली बाबत पट्टाधारी इल्का को
 तथा मंगू कायमी बाबत टैकाल मसल को लिख जाते।

निर्णय आज दिनांक 30/5/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर
 सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
 तहसीलदार (राजस्थान)
 लुनाकरणसर